कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 2277/2ई0व0भू0, दिनांक 05/09/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए बिजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के किमी0 1 में मिलान मोटर मार्ग के सम्बंध में। (प्रस्ताव संख्या–11030/2015)

सन्दर्भ :– Online Objection Dated 23-08-2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक EDS का अवलोकन करने का कष्ट करें। बिन्दुवार लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निम्नवत Online Upload कर दिया गया है।

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	It is seen from DSS analysis of the revised KML file of the proposed CA area that 1.00 ha area out of 4.312 ha area falls in Moderately Dense Forest (MDF) which is not considered suitable for CA. State Govt. may change 1.00 ha area falling in MDF and submit/upload GIS software generated geo referenced digital map, map in SoI toposheet and suitability certificate etc.	Revised KML file proposed for CA area 4.312 ha..Has been prepared & uploaded in part-I.
2	It is seen from the village wise breakup of forest land given in para-B-2.3 of online Part-I that the forest land falling within the jurisdiction of Sasola village and Hatrasia village is involved in the construction of proposed road. On the other hand, DC has mentioned in the FRA certificate that the forest land proposed for diversion falls within the jurisdiction of Basdeo, Sasola & Hatrasia villages. Further, the proceedings of Sasola & Kandekanyal villages only have been submitted under FRA. State Govt. may clarify the confusion in the name of the villages mentioned above and submit proceedings of the Village Level Committee meetings of all the villages under FRA	A complete FRA certificate has been made and uploaded in part-I for villages, Basudeo, Sasola, Hathrasiya & Bhakarpant.
3	It is mentioned in the muck dumping plan that 1960 cum of surplus muck is proposed to be dumped at two muck dumping sites located in the Van Panchayat Land and Civil Land of State Govt. But, this land has not been included in the forest land proposed for diversion. State Govt. may include the land required for the muck dumping in the forest land proposed for diversion and submit revised documents	In the proposal 6 sites located for muck disposal & not included in the forest land proposed for diversion, because the road is proposed for village & 9 mtr width is taken in land schedule, the road will be constructed approx. within the width of 6 mtr, the muck will be disposed within 3 mtr width after construction of RR Dry wall which land is included in land schedule.
4	State Govt. may submit original copy of the geo referenced digital map of the proposed road as well as land proposed for CA for placing in the hard copy of the proposal.	Original copy of the geo referenced digital map of the proposed road as well as land proposed for CA proposed road has been submitted by this office letter no. 1973/2 ई0व0भू0 Dated 05.08.2017

Please upload the same from your end.

Executive Engineer
Provincial Division PD,PWD
Bageshwar.

(1.6)

Form-I

(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No- memo ...... Dated--- 2.03.2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.156 hectares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Bhakarpant-Sasola-Vijaipur motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Basdeo, Sasola, Hatrasya** Villages in **Kanda** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.156 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclose – as above

Signature

Dated 02-03-2015

(Bhupal Singh Manral,)
District Collector
जिला अधिकारी
Seal
बागेश्वर
(Full name and official seal of the District Collector)

(1.6)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः-- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. 1 में मिलान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ......काण्डेकन्याल

तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.576 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.580 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.156 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत काण्डेकन्याल द्वारा दिनांक 30/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काण्डेकन्याल........... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है!

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 / (30/12/2014)
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र : काण्डेकन्याल
वि0ख0: बागेश्वर
जनपद: बागेश्वर

ह0 /
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत काण्डेकन्याल जिला–बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक 30/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	आलमसिंह मेहरा	Alam
2 -	सुनील साह	[illegible]
3.	श्री सुन्दर सिंह मटिया	[illegible]
4.	श्री जगदीश लाल वर्मा	[illegible]
5.	श्री गंगा लाल वर्मा	[illegible]
6.	श्री आनन्द लाल वर्मा	आनन्द लाल
7	श्री विजय वर्मा	[illegible]
8.	श्री देवा लाल वर्मा	देवा लाल
9.	श्री घनश्याम काण्डपाल	घनश्याम
10.	श्री केशव दत्त काण्डपाल	केशव दत्त
(11)	श्री मुकुन्द चन्द्र काण्डपाल	[illegible]

(1.6)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. 1 में मिलान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...ससोला...
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

ससोला

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.576 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.580 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.156 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ससोला... द्वारा दिनांक 25.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....ससोला.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0	ह0 / प्रधान पुष्पा
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ससोला
ससोला	वि0ख0 / जिला–बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक 25-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री वंशीधर काण्डपाल	[illegible]
2.	श्री दीप चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
3.	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी	[illegible]
4.	श्री कबीर राम	कबीर राम
5.	श्री मोहन राम	[illegible]
6.	श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
7.	श्री धर्मानन्द काण्डपाल	धर्मानन्द
8.	श्री नैन राम	नैन राम
9.	श्री जीवन राम	जीवन राम
10.	श्री गणेश दत्त काण्डपाल	गणेशदत्त काण्डपाल

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–बजीना
तहसील काण्डा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.576 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.580 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.156 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बजीना द्वारा दिनांक 01-09-2017को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बजीना, तोक हथरसिया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र बजीना
वि0ख0 बागेश्वर

ह0 /
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बजीना
वि0ख0-बागेश्वर जिला-बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना मल्ली ढाना–नैनी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 01.09.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–बजीना (तोक–हथरसिया)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री प्रेम चन्द्र पन्त	हंसी पंत
(2)	श्री नवीनचन्द्र पन्त	नवीनचन्द्र पन्त
(3)	श्री पुष्पेश पन्त	[illegible]
(4)	श्रीमती मीरा पन्त	मीरा पंत
(5)	श्रीमती गीता पन्त	गीता पंत
(6)	पीताम्बर पन्त	पीताम्बर पन्त

सरपंच
वन पंचायत हथरसिया
तोक काण्डा जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–ससोला
तहसील काण्डा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.576 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.580 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.156 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ससोला द्वारा दिनांक 31-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत ससोला, तोक भाकड़पन्त एवं बसुदेव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र ... बागेश्वर
वि0ख0 बागेश्वर

ह0 /
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत ससोला
वि0ख0 / जिला–बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना मल्ली ढाना–नैनी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 31-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–ससोला (तोक–बसुदेव)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री [illegible] चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
(2)	श्री नन्द किशोर काण्डपाल	NKKandpal
(3)	श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
(4)	[illegible] राम	[illegible]
		[illegible]

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना मल्ली ढाना–नैनी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 31-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–ससोला (तोक–भाकड़पन्त)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	गंगा देवी W/O चन्द्र राम	[illegible]
2-	[illegible] राम S/O हर राम [illegible]	[illegible]
3-	मोहनराम S/O किशनराम	[illegible]
4	दिवान राम S/ फकीर राम	[illegible]
(5)	मोहन राम	[illegible]
(6)	पवन कुमार	मोहनराम Pawan Kumar
(7)	मीना देवी	Meena
(8)	आशा देवी	Asha
(9)	सुशीला देवी	[illegible]
(10)	भुवनचन्द्र काण्डपाल	[illegible]
(11)	धर्मानन्द पाठक	राधा काण्डपाल
(12)	भुवनचन्द्र काण्डपाल	धर्मानन्द
(13)	गोदावरी काण्डपाल	[illegible]
(14)	[illegible] देवी	गोदावरी काण्डपाल
(15)	मोहनी देवी	[illegible]
	[illegible] शर्मा	[illegible] शर्मा
16)	कौस्तुभ चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
17	हरीश चन्द्र काण्डपाल	Harish
(18)	गणेश दत्त काण्डपाल	जानकी काण्डपाल

(1.6)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम:– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. 1 में मिलान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– कांडा

उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.576 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 1.580 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 2.156 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक 26-02-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्रीमती रेखा कोहली...., उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

1–	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री खड़क सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	[illegible]	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

सदस्य
क्षेत्र पंचायत काण्डेकन्याल (काण्डा)
विकास खण्ड व जनपद- बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.156 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है! अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

(1.6)

प्रपत्र–23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 28.02.15 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2015 द्वारा भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग के लिए 2.156 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग के लिए 2.156 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग के लिए 2.156 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. 1 में मिलान।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 02-03-2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

(1.6)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. 1 में मिलान।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित भाकड़पंत से ससोला होते हुए बिजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/ 98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

दिनांक 02.03.2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

जिला अधिकारी
बागेश्वर